भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 2057

उत्तर देने की तारीख- 19/12/2022

निरक्षर जनजातीय समुदाय

2057. श्री शंकर लालवानीः

डॉ. भारतीबेन डी.श्यालः

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़ी संख्या में जनजातीय समुदाय अभी भी निरक्षर है;

(ख) यदि हां, तो जनजातीय समुदाय की शिक्षा और जीवन शैली में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं/उठाए जाने की संभावना है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं और कल्याणकारी उपायों के लिए राज्यों को आवंटित धनराशि का राज्य/योजना-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्य मंत्री

(श्रीमती रेणुका सिंह सरुता)

(क): वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के बीच साक्षरता दर 59% है। इसके अलावा, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा प्रकाशित आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) रिपोर्ट (जुलाई 2020 - जून 2021) के अनुसार, भारत में अनुसूचित जनजातियों के लिए साक्षरता दर 71.6% है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में साक्षरता दर में वृद्धि हुई है, लेकिन अभी भी अनुसूचित जनजाति और अन्य समुदायों के बीच साक्षरता दर में अंतर है।

(ख) और (ग) : सरकार देश भर में जनजातीय लोगों के समग्र विकास के लिए जनजातीय उप-योजना (टीएसपी)/अनुसूचित जनजाति घटक (एसटीसी)/एसटी (डीएपीएसटी) के विकास हेतु विकास कार्य योजना कार्यान्वित कर रही है। जनजातीय कार्य मंत्रालय के अलावा, 41 केन्द्रीय मंत्रालय/विभाग जनजातीय विकास के लिए टीएसपी/एसटीसी/डीएपीएसटी निधियों के रूप में प्रतिवर्ष अपने कुल योजना आबंटन का कुछ प्रतिशत निर्धारित कर रहे हैं। देश में अनुसूचित जनजातियों के त्वरित सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई, सड़क, आवास, पेयजल, विद्युतीकरण, रोजगार सृजन, कौशल विकास आदि से संबंधित विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा अपनी स्कीमों के अंतर्गत डीएपीएसटी निधियां खर्च की जाती हैं। नीति आयोग ने अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और विकास के लिए बाध्य मंत्रालयों/विभागों द्वारा डीएपीएसटी निधियों के निर्धारण, प्रभावी उपयोग के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं।

जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत में जनजातीय आबादी के शैक्षिक उत्थान के लिए विशेष रूप से निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है।

- एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस)
- अनुसूचित जनजाति के छात्रों को मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्तियां
- अनुसूचित जनजाति के छात्रों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति
- विदेश में अध्ययन के लिए अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति
- अनुसूचित जनजाति के छात्रों की उच्चतर शिक्षा के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति और छात्रवृत्ति

मंत्रालय द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को भी निधियां प्रदान की जाती है।

इसके अलावा, संवैधानिक सुरक्षापायों के अलावा, संसद ने अन्य बातों के साथ-साथ देश में अनुसूचित जनजाति समुदायों के संरक्षण और संवर्धन के लिए कानून अधिनियमित किए हैं। इनमें शामिल हैं:

- अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989
- पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) (संक्षेप में पेसा) अधिनियम, 1996
- अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम {सामान्यतया वन अधिकार अधिनियम (एफआरए), के रूप में जाना जाता है}, 2006
- भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013

पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय की कुछ योजनाओं के अंतर्गत जारी की गई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा **अनुलग्नक** में दिया गया है।

अनुलग्नक

'निरक्षर जनजातीय समुदाय' के संबंध में दिनांक 19.12.2022 को श्री शंकर लालवानी तथा डॉ. भारतीबेन डी.श्याल द्वारा पूछे जाने वाले लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2057 के उत्तर के संबंध में संदर्भित अनुलग्नक

I. भारत के संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदान:

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	2019-20*	2020-21	2021-22
		जारी की गई निधि	जारी की गई निधि	जारी की गई निधि
1	आंध्र प्रदेश	8942.43	2055.55	2638.65
2	अरुणाचल प्रदेश	13202.25	6014.00	9830.00
3	असम	10802.85	4592.37	2570.0000
4	बिहार	0.00	0.00	642.08
5	छत्तीसगढ़	22500.77	9976.24	11604.020
6	गोवा	0.00	0.00	600.41
7	गुजरात	16833.88	5940.04	6923.79
8	हिमाचल प्रदेश	5314.70	1161.00	1500.00
9	जम्मू और कश्मीर	5410.00	0.00	0.00
10	झारखंड	11166.77	10278.00	0.00
11	कर्नाटक	10435.46	3305.68	12264.19
12	केरल	633.29	0.00	3210.00
13	मध्य प्रदेश	44938.92	4279.78	0.00
14	महाराष्ट्र	23136.70	4573.16	5319.10
15	मणिपुर	6151.91	0.00	0.00
16	मेघालय	4799.53	492.71	0.00
17	मिजोरम	6598.83	1909.71	1595.25
18	नागालैंड	6802.11	1717.38	2971.54
19	ओडिशा	15110.66	6304.62	3202.39
20	राजस्थान	15586.19	9166.00	11382.05
21	सिक्किम	3175.35	516.00	10435.21
22	तमिलनाडु	6356.07	0.00	2045.00
23	तेलंगाना	9973.28	2517.00	0.00
24	त्रिपुरा	2952.63	201.74	2050.00
25	उत्तर प्रदेश	2760.71	927.426	607.53
26	उत्तराखंड	428.37	0.00	832.71
27	पश्चिम बंगाल	12127.17	4041.14	100.65

* एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों (ईएमआरएस) हेतु जारी की गई निधियां शामिल है क्योंकि ईएमआरएस योजना हेतु निधियों को वर्ष 2019-20 तक अनुच्छेद 275 (1) के अनुदान के तहत आवंटित किया गया था।

II. प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना (पीएमएएजीवाई):

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	2019-20 (टीएसएस को एससीए)*	2020-21 (टीएसएस को एससीए)*	2021-22 (पीएमएएजीवाई)
		जारी की गई निधि	जारी की गई निधि	जारी की गई निधि
1	आंध्र प्रदेश	12470.50	4954.96	0.00
2	अरुणाचल प्रदेश	9224.29	7015.50	733.68
3	असम	2710.08	4578.76	8743.02
4	बिहार	0.00	3106.00	774.44
5	छत्तीसगढ़	9415.53	8769.06	15595.8
6	गोवा	0.00	724.26	0.00
7	गुजरात	8975.55	10786.40	15916.78
8	हिमाचल प्रदेश	2394.18	1367.00	377.03
9	जम्मू और कश्मीर	4509.00	0.00	0.00
10	झारखंड	6201.49	7049.64	6531.79
11	कर्नाटक	7434.00	0.00	2139.9
12	केरल	0.00	459.15	0.00
13	मध्य प्रदेश	13415.25	0.00	12268.76
14	महाराष्ट्र	11929.09	0.00	0.00
15	मणिपुर	1434.02	0.00	427.98
16	मेघालय	3788.00	328.25	0.00
17	मिजोरम	3140.00	1236.22	580.83
18	नागालैंड	2951.12	2846.14	886.53
19	ओडिशा	8691.18	9010.42	2771.68
20	राजस्थान	11461.41	8662.66	7224.71
21	सिक्किम	0.00	0.00	0.00
22	तमिलनाडु	450.56	377.47	285.32
23	तेलंगाना	5361.29	4191.00	2262.18
24	त्रिपुरा	1362.97	1173.30	631.78
25	उत्तराखंड	600.00	757.80	0.00
26	उत्तर प्रदेश	779.91	508.83	0.00
27	पश्चिम बंगाल	5862.58	3746.00	0.00

*2021-22 में 'जनजातीय उप-योजना को विशेष केंद्रीय सहायता' (टीएसएस को एससीए) योजना को प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना (पीएमएएजीवाई) के रूप में नवीकरण किया गया।

III. जनजातीय अनुसंधान संस्थान को सहायता:

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	2019-20	2020-21	2021-22
		जारी की गई निधि	जारी की गई निधि	जारी की गई निधि
1	आंध्र प्रदेश	500.00	455.00	432.75
2	अरुणाचल प्रदेश	923.85	184.15	0
3	असम	235.64	0.00	0
4	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	189.04
5	गुजरात	1719.06	0.00	0
6	हिमाचल प्रदेश	68.05	50.00	114.1
7	जम्मू और कश्मीर	308.84	206.51	200
8	झारखंड	1654.50	0.00	13.92
9	कर्नाटक	185.50	26.35	184.25
10	मध्य प्रदेश	0.00	447.00	484.58
11	महाराष्ट्र	141.00	0.00	0
12	मणिपुर	877.00	0.00	0
13	मिजोरम	1512.00	1178.22	766.65
14	नागालैंड	275.00	0.00	85
15	ओडिशा	780.04	503.00	644.76
16	राजस्थान	0.00	8.89	215.34216
17	सिक्किम	82.50	144.00	273.3
18	तमिलनाडु	0.00	0.00	135.09
19	तेलंगाना	557.25	375.75	548.95
20	त्रिपुरा	335.52	0.00	44.29384
21	उत्तर प्रदेश	0.00	35.15	89.25
22	पश्चिम बंगाल	149.25	0.00	0
23	मेघालय	0.00	0.00	66.224
24	उत्तराखंड	693.00	2183.48	1400.75
25	गोवा	0.00	202.50	111.75

IV विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों का विकास (पीवीटीजी):

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	2019-20	2020-21	2021-22
		जारी की गई निधि	जारी की गई निधि	जारी की गई निधि
1	आंध्र प्रदेश	3713.43	1245.51	1829.60
2	अंडमान और निकोबार द्वीप	0.00	0.00	252.11
3	बिहार	0.00	0.00	0.00
4	छत्तीसगढ़	1311.35	989.32	996.90
5	गुजरात	429.05	552.20	761.80
6	झारखंड	847.00	1777.29	1696.93
7	कर्नाटक	1933.01	438.46	661.17
8	केरल	0.00	88.00	0.00
9	मध्य प्रदेश	12064.89	2188.11	2888.69
10	महाराष्ट्र	2510.00	1411.66	0.00
11	मणिपुर	0.00	0.00	0.00
12	ओडिशा	976.38	1202.00	1197.00
13	राजस्थान	968.10	968.00	706.17
14	तमिलनाडु	819.48	551.08	1967.81
15	तेलंगाना	538.50	1460.50	1193.04
16	त्रिपुरा	1960.82	231.43	1481.71
17	उत्तर प्रदेश	0.00	82.04	0.00
18	उत्तराखंड	489.53	295.00	367.07
19	पश्चिम बंगाल	437.47	519.40	0.00

V मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति:-

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2019-20	2020-21	2021-22
		जारी की गई निधि	जारी की गई निधि	जारी की गई निधि
1	अंडमान और निकोबार	5.62	12.33	8.03
2	आंध्र प्रदेश	736.32	1433.81	3935.06
3	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	207.30
4	असम	0.00	17.27	102.19
5	बिहार	7131.47	0.00	0.00
6	छत्तीसगढ़	4796.94	3541.54	0.00
7	दादर नगर हवेली और दमन और दीव	_	234.00	206.62

8	दादर और नगर हवेली	38.49	_	_
9	दमन और दीव	5.89	_	_
10	गोवा	80.56	41.35	
11	गुजरात	5248.34	2198.84	3689.18
12	हिमाचल प्रदेश	83.92	91.87	0.00
13	जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	0.00
14	झारखंड	1514.49	0.00	3899.03
15	कर्नाटक	1846.92	0.00	1753.16
16	केरल	287.31	116.56	347.07
17	लद्दाख		42.27	74.22
18	मध्य प्रदेश	7698.90	5429.34	11458.18
19	मणिपुर	443.33	0.00	0.00
20	मेघालय	0.00	0.00	0.00
21	मिजोरम	702.21	167.86	657.47
22	नागालैंड	0.00	60.75	0.00
23	ओडिशा	6157.65	6944.96	5236.75
24	पुदुचेरी		1.63	0.00
25	राजस्थान	5346.97	3126.90	6234.34
26	सिक्किम	3.57	9.41	0.00
27	तमिलनाडु	589.74	241.00	546.55
28	तेलंगाना	0.00	0.00	0.00
29	त्रिपुरा	386.18	252.09	58.55
30	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	88.17
31	उत्तराखंड	0.00	138.24	0.00
32	पश्चिम बंगाल	894.18	788.22	912.51

VI. मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति:

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2019-20	2020-21	2021-22
		जारी की गई निधि	जारी की गई निधि	जारी की गई निधि
1	अंडमान और निकोबार	11.34	13.29	10.35
2	आंध्र प्रदेश	7797.07	6039.35	8991.45
3	अरुणाचल प्रदेश	6113.41	5712.96	12360.50
4	असम	4867.20	5413.54	1093.40
5	बिहार	1525.43	708.22	0.00
6	छत्तीसगढ़	7022.69	8790.24	0.00
7	दादर नगर हवेली और दमन और दीव	0	3481.73	0.00

8	दादर और नगर हवेली	88.66	0.00	0.00
9	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00
10	गोवा	732.79	458.18	0
11	गुजरात	14004.48	22977.64	46170.25
12	हिमाचल प्रदेश	2468.81	0	0.00
13	जम्मू और कश्मीर	1048.29	805.44	0.00
14	झारखंड	7862.86	0	12654.88
15	कर्नाटक	15003.43	0	17080.51
16	केरल	1641.52	3285.25	2516.49
17	लद्दाख	_	738	2214.00
18	मध्य प्रदेश	12198.58	12344	24529.43
19	महाराष्ट्र	15575.38	18149.52	19214.82
20	मणिपुर	6235.55	2184.19	4292.15
21	मेघालय	0.00	0	2636.09
22	मिजोरम	4415.78	3446.82	3874.64
23	नागालैंड	3268.73	3226.37	4435.75
24	ओडिशा	16640.15	19095.97	21842.98
25	पुदुचेरी	_	19.56	0.00
26	राजस्थान	25950.52	25557.03	13744.70
27	सिक्किम	566.80	553.83	1036.28
28	तमिलनाडु	5025.19	3328.99	4849.38
29	तेलंगाना	19610.60	27297.83	7503.90
30	त्रिपुरा	2355.78	4804.98	7188.77
31	उत्तर प्रदेश	1822.71	2218.67	0.00
32	उत्तराखंड	0.00	0.00	3568.37
33	पश्चिम बंगाल	2411.00	2256.42	3872.05

VI. अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता:

(रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	2019-20	2020-21	2021-22
		जारी की गई निधि	जारी की गई निधि	जारी की गई निधि
1	आंध्र प्रदेश	10157218	5026080	16228664
2	अरुणाचल प्रदेश	35595687	27184297	23778993
3	असम	6213405	4061646	18512478
4	छत्तीसगढ़	15948615	4900346	13036874
5	दिल्ली	0	1316151	1428775
6	गुजरात	17888100	12098347	10403047

7	हिमाचल प्रदेश	17953743	22425259	13154561
8	जम्मू और कश्मीर	1587901	4639377	2672910
9	झारखंड	107514637	50136982	69711917
10	कर्नाटक	25497469	11651044	22293781
11	केरल	0	12082483	14281473
12	लद्दाख	0	0	4308595
13	मध्य प्रदेश	49199977	22388570	110269307
14	महाराष्ट्र	62859152	40257292	67398480
15	मणिपुर	33097504	28092348	60202985
16	मेघालय	145347653	84500593	77602299
17	मिजोरम	4711528	6963997	11151249
18	ओडिशा	293997570	153681894	242481660
19	राजस्थान	17184495	18979922	10165582
20	सिक्किम	3046526	946123	2718360
21	तमिलनाडु	28908752	11703033	27473845
22	तेलंगाना	1096770	5481754	5664219
23	त्रिपुरा	4656113	3354479	156271
24	उत्तर प्रदेश	0	11222937	3220666
25	उत्तराखंड	1558170	4854462	6422488
26	पश्चिम बंगाल	64483189	47050584	57760521

*****